



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

01 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 225 राँची, सोमवार,

22 मार्च, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

22 मार्च, 2021

विषय:- साहेबगंज एवं राजमहल कलस्टर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लोक - निजी भागीदारी पद्धति के आधार पर क्रियान्वयन हेतु कुल लागत राशि रु०18557.35 लाख (रु० एक सौ पच्चासी करोड़ संतावन लाख पैतीस हजार) मात्र में से SBM के केंद्र मद की राशि अप्राप्त रहने के कारण राशि रु० 823.27 लाख (रु० आठ करोड़ तेईस लाख सत्ताईस हजार) मात्र को राज्य योजना मद से अनुदान देने एवं कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

ज्ञापांक- SPMG/UD&HD/MoHUA/01/2018/1178-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है । विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है ।

2. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी SWM Rules, 2016 के अनुसार ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है ।

3. साहेबगंज एवं राजमहल शहर गंगा नदी पर अवस्थित है, जिसके फलस्वरूप नेशनल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMG) द्वारा भी इस सम्बन्ध में लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।
4. साहेबगंज एवं राजमहल कलस्टर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में किए जाने हेतु राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदानोपरांत संकल्प संख्या - 3259, दिनांक - 21.06.18 निर्गत है।
5. योजना पर State High Power Committee (SHPC) का अनुमोदन प्राप्त है।
6. उक्त योजना में केंद्र सरकार के SBM मद से कुल राशि रु० 823.27 लाख (रु० आठ करोड़ तेईस लाख सत्ताईस हजार) मात्र दिया जाना था जिसमें Capex मद में रु० 662.26 लाख (छः करोड़ बासठ लाख छब्बीस हजार), रु० 6.62 (छः लाख बासठ हजार) DPR बनाने एवं Opex मद में रु० 154.39 लाख (एक करोड़ चौवन लाख उनचास हजार) 20 वर्षों हेतु दिया जाना है।
7. Capex मद में केन्द्रांश राशि प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा लगातार पत्राचार किया गया है, जिसके उपरांत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से पत्रांक - 1/25/2015 - SBM, दिनांक - 19.10.2020 द्वारा केंद्र मद की राशि दिए जाने के सम्बन्ध में असहमति जताई गई है एवं राज्य अंतर्गत स्वीकृत 17 अन्य SWM योजनाओं की दूसरी किश्त की राशि राज्य द्वारा मांग नहीं किए जाने की स्थिति में साहेबगंज एवं राजमहल कलस्टर ठोस अपशिष्ट योजना हेतु प्रस्तावित दोनों किश्तों की राशि जारी करने पर विचार करने की बात कही गई है।
8. योजना की महत्ता को देखते हुए योजना का क्रियान्वयन राज्य योजना मद से करने हेतु विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है।
9. उपर्युक्त विवरणी के परिप्रेक्ष्य में साहेबगंज एवं राजमहल कलस्टर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को लोक - निजी भागीदारी पद्धति के आधार पर क्रियान्वयन हेतु योजना की कुल लागत राशि रु० 18557.35 लाख (रु० एक सौ पच्चासी करोड़ संतावन लाख पैतीस हजार) मात्र में से SBM के केंद्र मद से दिए जाने वाली राशि रु० 823.27 लाख (रु० आठ करोड़ तेईस लाख सत्ताईस हजार) मात्र को राज्य योजना मद से अनुदान एवं कार्य की स्वीकृति दी जाती है।
10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए।

ह०/-

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
